


FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
देवीसिंह पुत्र श्री रावतसिंह जाति राजपूत बनाम श्यामसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत वगै.
सा. राजलिया तह. नावां सा. राजलिया तह. नावां

किस्म मुकदमा : 53,188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 92/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
12.04.2022	<p>वादी ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 16.05.2022 को पेश हो।</p> <p>16/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 27/6/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm- (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p style="text-align: center;">S</p>	
27/6/22	<p>अधिवक्ता वादी उपण तामील अदम तामील सम्मन प्राप्त नहीं पुनः पेश करें। मि० कि० 27/7/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm-</p>	
27/7/22	<p>अधिवक्ता वादी उपण पूर्व आदेश की पालना करने हेतु रिवाफत दी गरी मि० कि० 13/9/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm-</p>	
13/9/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 23/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">S</p>	
23/11/22	<p>अधिवक्ता वादी उपण तामील पेश करें। मि० कि० 25/11/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">S</p>	

तारीख हुकम

गवर्नर व जज
उपस्थित
हुकम के लिये
म. जज

25/1/23 पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
वधारे है पत्रावली दिनांक 12/4/23
को पेश हो।
५५

12/4/23 क्षत्रिवक्ता वादी उपठ। तलबी पेश काने
हुइ दिहापत दी गई क्रिंदि 18/4/23
की पेश हो
५५

8/6/23 पत्रावली अदालत 'प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2023 केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत
भारत निगम राजीव गांधी सेवा केन्द्र राजीव गांधी
में आज पेश हुई। क्षत्रिवक्ता वादी / प्रतिवादी
हाजीर / गैर हाजीर। पक्षकारान् वादी / प्रतिवादी
हाजीर / गैर हाजीर। पक्षकारान् के माध्य रास्ते
भई हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक
8/9/23 को पेश हो।
५५

6/9/23 पत्रावली पेश हुई क्षत्रिवक्ता वादी व वादी
स्वयं की बार-बार श्रावाज दिलाई गई जितने
बेवजूद भी क्षत्रुपस्थित रहे हैं। पत्रावली वादी
प्रथित श्रादेशि कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दि
9/9/23 की पेश हो ५५

9/9/23 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई
वादी का वाक पत्र भदम हाजीर व श्रम
पैकी में खारिज किया जाता है पत्रावली
किसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व
हाजिल रूपत हो ५५

उपखण्ड अधिकारी
नायां (डीडवाना-कुशासन)